

उपखण्ड अधिकारी
सलूमबर

27/08/24

पत्रा. पेशा डुरी। पार्थिया मय आधिवक्ता अनुपास्थित
वकील विपक्षी उप.। पार्थिया को न्यायालय समय
पर विधिवत रूप से बार-बार आवाजे लगाव ई गई
उसके उपरान्त भी पार्थिया मय आधिवक्ता के
गैर-हाजिर रहने से पार्थिया का पार्थिया-पत्र
अदम हाजिर व अदम पेशी में खारिज कीया
जाता है।

पत्रा. फंसल बुमार होकर दाखिल दफ्तर हो
गिया खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर सलूमबर

जिला सलूमबर